नफ़रत और भेदभाव को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ प्रस्ताव: सारांश दस्तावेज़

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government

विषय वस्तु

छह प्रस्ताव 3

उकसाने वाली भाषा क्या है? 4

उकसाने वाली भाषा से नुकसान हो सकता है 5

मौजूदा कानून 5

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं 5

कानूनों में कई तरह की समस्याओं के बारे में पता चला है 6

वैतांगी संधि में कुछ बदलाव सुझाए गए हैं 6

प्रस्तावों पर फ़ीडबैक के लिए सवाल 7

अगर आप नफ़रत फैलाने वाली भाषा या व्यवहार से पीड़ित हैं, तो आप क्या कर सकते हैं 8

आगे की जानकारी 8

Te Tāhū o Te Ture – मिनिस्ट्री ऑफ़ जस्टिस (मंत्रालय) नफ़रत और भेदभाव को बढ़ावा देने से संबंधित कानून में बदलाव के छह प्रस्तावों पर आपकी राय जानना चाहती है।

ह्यूमन राइट्स ऐक्ट 1993 के तहत ऐसी भाषा पर रोक लगाई गई है जो किसी जाति के ख़िलाफ़ भावनाएँ भड़काने का काम करती है। इसके तहत किसी व्यक्ति से उसकी पहचान से जुड़ी चीज़ों के आधार पर उससे भेदभाव करने पर भी रोक लगाई गई है।

15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुए आतंकवादी हमले की जाँच पर मंत्रालय द्वारा समीक्षा और रॉयल कमिशन की सिफारिशों के बाद, सरकार इन संरक्षणों को मज़बूत और स्पष्ट करने के लिए कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव रख रही है।

भेदभाव को रोकने वाले प्रावधानों में भी दो बड़े कानूनी बदलाव करने का प्रस्ताव रख रही है।

आओटेअरोवा न्यूज़ीलैंड एक विविधताओं से भरा देश है। सरकार सामाजिक एकता को मज़बूत करना और आओटेअरोवा न्यूज़ीलैंड को सभी के लिए सुरक्षित बनाना चाहती है। इसमें नफ़रत भड़काने वाली भाषा से सुरक्षा को बेहतर बनाने और भेदभाव से सुरक्षा देने से मदद मिलेगी।

आओटेअरोवा न्यूज़ीलैंड में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। यह न्यूज़ीलैंड के बिल ऑफ़ राइट्स ऐक्ट 1990 का हिस्सा है जिसमें कि भेदभाव से स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रस्तावित कानून में बदलाव करने का उद्देश्य यह है कि इन अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि जो लोग नफ़रत फैलाने वाली भाषा का शिकार हों, वे खुलकर इस बारे में बता सकें। बिल ऑफ राइट्स ऐक्ट अधिकारों की उचित सीमा तय करता है। इस तरह से कि उससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों और हितों को नुकसान न पहुँचे।

सरकार छह प्रस्तावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। इसका मतलब है कि सरकार सोचती है कि बदलाव एक अच्छा विचार है, लेकिन कानून को बदलने के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले यह भी जानना चाहती है कि क्या वे बदलाव समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। जो भी राय मिलेगी उसके आधार पर इन प्रस्तावों में बदलाव किया जा सकता है।

प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं। संक्षेप में, उनका लक्ष्य है:

- उकसाने वाले प्रावधानों द्वारा संरक्षित लोगों के समूहों की संख्या बढ़ाई जाए
- स्पष्ट किया जा सके कि कानून के तहत किस तरह के व्यवहार की अनुमति है और कानून तोड़ने पर दी जाने वाली सज़ा को कड़ा किया जा सके
- अधिक भेदभाव से समूहों की सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके।

आप पूर्ण चर्चा के दस्तावेज़ में मौजूदा कानून, बदलाव लाने वाले प्रस्तावों और उनके कारणों के बारे में अधिक विस्तृत पृष्ठभूमि पा सकते हैं: *नफ़रत और भेदभाव को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ प्रस्ताव* www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination. पर उपलब्ध हैं।

हम आपकी राय जानना चाहते हैं

सरकार आपसे आपकी राय (सबमिशन) जानना चाहती है, ताकि तय कर सके कि प्रस्तावित बदलाव किए जाएँ या नहीं, या उनके कुछ हिस्सों को बदला जाए, या फिर किसी अन्य तरह की कार्रवाई की जाए।

आप 25 जून से लेकर 6 अगस्त 2021 तक अपने सबमिशन जमा कर सकते हैं। आप अपना सबमिशन Citizen Space वेबसाइटhttps://consultations.justice.govt.nz पर कर सकते हैं, humanrights@justice.govt.nz पर ईमेल कर सकते हैं, या Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellington इस पते पर डाक से भेज सकते हैं।

गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ सबमिशन प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर चर्चा का दस्तावेज़ देखें: www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination

गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया चर्चा दस्तावेज़ में पेज 6 देखें। अपनी राय सबमिट करने से पहले इसे एक बार ज़रूर पढ़ें।

छह प्रस्ताव

प्रस्ताव एक: ह्यूमन राइट्स ऐक्ट 1993 में उकसाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधानों की भाषा बदलें, ताकि वे नफ़रत फैलाने वाली भाषा का शिकार बनने वाले अधिक समूहों की सुरक्षा कर सकें।	अभी के प्रावधान केवल उस भाषा पर लागू होते हैं जो किसी समूह के साथ उनके रंग, जाति या नस्लीय या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करती है। नफ़रत फैलाने वाली भाषा का शिकार धर्म, लिंग, यौन-रुझान और शारीरिक अक्षमता के आधार पर भी अन्य समूह भी होते हैं। यह प्रस्ताव कानून को इस तरह से बदलेगा कि वह किसी समूह पर अधिक लक्षणों के आधार पर नफ़रत भड़काए जाने पर भी लागू हो। इसमें ह्यूमन राइट्स ऐक्ट की धारा 21 में भेदभाव के कुछ या सभी दूसरे निषिद्ध आधार शामिल हो सकते हैं (यह सेक्शन चर्चा दस्तावेज़ के परिशिष्ट एक में निर्धारित है)। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस बदलाव के अंतर्गत किन समूहों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ज़्यादा जानकारी चर्चा दस्तावेज़ के पेज 17 पर उपलब्ध है।
प्रस्ताव दो: ह्यूमन राइट्स ऐक्ट 1993 में मौजूदा आपराधिक प्रावधान को अपराध अधिनियम 1961 में दिए नए आपराधिक अपराध से बदलें जो स्पष्ट और ज़्यादा प्रभावी है।	इसका मतलब यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी सुरक्षित समूह के प्रति नफ़रत भड़काता है, उकसाता है, बार-बार फैलाता है या आम तौर पर ऐसा करता रहता है, यह माना जाएगा कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा उस स्थिति में माना जाएगा जब वह धमकी दे, अभद्र या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे। इसमें उनके प्रति हिंसा को बढ़ावा देना भी शामिल है। उन्होंने चाहे किसी भी तरह से धमकी दी हो या अभद्र व्यवहार किया हो, बोलकर, लिखित रूप में या ऑनलाइन, इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। किन समूहों को संरक्षित किया जाना चाहिए, इस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्रस्ताव एक देखें। ज़्यादा जानकारी चर्चा दस्तावेज़ के

	पेज 18 पर उपलब्ध है।
प्रस्ताव तीन: आपराधिक अपराध की गंभीरता को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए सज़ा को बढ़ाया जाए।	मौजूदा सज़ा में तीन महीने तक की कैद या 7,000 डॉलर तक का जुर्माना है। प्रस्ताव यह दिया गया है कि सज़ा को बढ़ाकर तीन साल तक की कैद या 50,000 डॉलर तक का जुर्माना किया जाए। ज़्यादा जानकारी चर्चा दस्तावेज़ के पेज 19 पर उपलब्ध है।
प्रस्ताव चार: आपराधिक प्रावधान के तहत किए जा रहे बदलावों के अनुसार नागरिक उत्तेजन के प्रावधान की भाषा भी बदलें, ताकि दोनों की भाषा एक जैसी हो।	यह नागरिक प्रावधान (धारा 61) में मौजूदा शब्दों के साथ-साथ 'नफ़रत को उकसाने / भड़काने, बनाए रखने या सामान्य बनाने' को जोड़ देगा। हम इस प्रावधान को दूसरे तरीकों से सुधारने से संबंधित विचारों का भी स्वागत करते हैं। ज़्यादा जानकारी चर्चा दस्तावेज़ के पेज 21 पर उपलब्ध है।
प्रस्ताव पांच: नागरिक प्रावधान को बदलें, ताकि 'भेदभाव को उकसाने' को कानून का उल्लंघन माना जाए।	कानून को इस तरह से बदला जाएगा कि किसी व्यक्ति को उन समूहों के ख़िलाफ़ भेदभाव करने से और लोगों को उकसाने या उत्तेजित करने से प्रतिबंधित किया जा सके, उन समूहों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित होंगे (प्रस्ताव एक देखें)। यह इस प्रकार के व्यवहार के बारे में मानवाधिकार आयोग से शिकायत करने की अनुमति देगा। ज़्यादा जानकारी चर्चा दस्तावेज़ के पेज 22 पर उपलब्ध है।
प्रस्ताव छह: ह्यूमन राइट्स ऐक्ट में भेदभाव के आधारों को जोड़ें, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि ट्रांस, विविध लिंगों के और इंटरसेक्शुअल लोग भेदभाव से सुरक्षित हैं।	मौजूदा कानून में लोगों के साथ उनके लिंग के कारण भेदभाव करना गैरकानूनी है। सरकार का मानना है कि इसमें लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति, लैंगिक लक्षणों या इंटरसेक्शुअल स्थिति के आधार पर भेदभाव करना शामिल है। यह प्रस्ताव इस बारे में कानून को स्पष्ट करने का सुझाव देता है। ज़्यादा जानकारी चर्चा दस्तावेज़ के पेज 23 पर उपलब्ध है।

उकसाने वाली भाषा क्या है?

'नफ़रत फैलाने वाली भाषा' एक व्यापक शब्द है जिसका इस्तेमाल आओटेअरोवा न्यूजीलैंड के कानून में नहीं किया गया है इसे सामान्य रूप से एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति या समूह से किसी आम लक्षण के आधार पर भेदभाव करती है, उदाहरण के लिए, नस्ल, धर्म, या यौन-रुझान।

ऊपर दिए गए छह प्रस्ताव विशेष रूप से उस भाषा से संबंधित हैं जो एक समूह के ख़िलाफ नफ़रत की भावना भड़काती है। नफ़रत भड़काने वाली भाषा अभद्र होती है या धमकी भरी भाषा जो किसी समूह विशेष के लोगों (न कि किसी एक व्यक्ति विशेष) के प्रति एक ऐसे लक्षण पर द्वेष पैदा करती है जो उन सभी में है। यही कारण है कि हम 'भड़काऊ भाषा', 'नफ़रत भड़काने' और 'उकसाने के प्रावधान' के बारे में बात कर रहे हैं।

नफ़रत बढ़ाने वाले अपराध के दूसरे रूप इन प्रस्तावों के अंतर्गत नहीं आते। इससे संबंधित कार्य के बारे में ज़्यादा जानकारी जो इन प्रस्तावों में शामिल नहीं है, उसे चर्चा दस्तावेज़ में पेज 25 पर देख सकते हैं।

उकसाने वाली भाषा से नुकसान हो सकता है

नफ़रत को भड़काने वाली भाषा से काफ़ी नुकसान हो सकता है। जिन समुदायों को इसका शिकार बनाया जाता है, उन पर नकारात्मक असर हो सकता है और हिंसा भड़क सकती है। द्वेष की भावना पैदा करके और सामाजिक समावेश को रोक कर नफ़रत को भड़काने से हमारे समाज को नुकसान पहुँचता है। यह आओटेअरोवा न्यूज़ीलैंड में हमारे सभी समुदायों के बीच अविश्वास और मतभेद फैला सकता है।

नफ़रत भड़काने से सुरक्षा के कानूनों में सुधार करने से सुरक्षित समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे समाज में इस बात को ज़ोर देकर कहा जा सकेगा कि इस तरह का व्यवहार नुकसानदेह है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत नफ़रत को भड़काना भी प्रतिबंधित है, इसलिए कानून बदलने से हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मौजूदा कानून

ह्यूमन राइट्स ऐक्ट 1993 में एक आपराधिक प्रावधान और एक नागरिक प्रावधान है। नागरिक कानून व्यवस्था व्यक्तियों और संगठनों के निजी विवादों, और कुछ मामलों में स्थानीय या केंद्र सरकार के साथ विवादों पर लागू होती है। आपराधिक कानून व्यवस्था का उद्देश्य कानून तोड़ने वाले लोगों को दंडित करके अधिक गंभीर और हानिकारक आचरण की पहचान करना और उसे प्रतिबंधित करना है।

नागरिक प्रावधान (धारा 61) के तहत, ऐसे शब्दों का उपयोग करना, उन्हें प्रकाशित करना, प्रसारित करना या वितरित करना गैरकानूनी है, जो:

1. धमकी भरे, अभद्र या अपमानजनक हैं और
2. किसी भी समूह के रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल के आधार पर द्वेष को उकसाने या अवमानना के लिए भड़काने की संभावना रखते हैं।

अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी ने कोई गैरकानूनी काम किया है, तो वह मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकता है।

आपराधिक प्रावधान (धारा 131) के तहत लिखित सामग्री को प्रकाशित करके, प्रसारित करके या वितरित करके नस्लीय असामंजस्य को भड़काना या ऐसे शब्दों का उपयोग करना एक अपराध है, जो:

1. धमकी भरे, अभद्र या अपमानजनक हैं,
2. रंग, नस्ल, या जातीय या राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी समूह के ख़िलाफ़ द्वेष या दुर्भावना को भड़काने या अवमानना या उनका मज़ाक उड़ाने की संभावना रखते हैं, और
3. ऐसे द्वेष, दुर्भावना, अवमानना को बढ़ावा देने का या मज़ाक बनाने के लिए कहे जाते हैं।

इस अपराध की सज़ा तीन महीने तक की कैद या 7,000 डॉलर का जुर्माना है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे समाज की आधारशिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार है। बिल ऑफ राइट्स ऐक्ट में सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की तरह, अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा इस तरह से सीमित किया जा सकता है कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में इसे उचित ठहराया जा सके।

उकसाने से संबंधित मौजूदा प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित सीमाएँ लगाते हैं। ये एक संतुलित दृष्टिकोण बनाते हैं जिसमें नफ़रत फैलाने वाली भाषा के प्रति गंभीरता बढ़ाने के लिए कड़ी सज़ा देने पर विचार किया जाता है। उकसाने वाली भाषा से जुड़े प्रावधान उस भाषा के बारे में होते हैं, जिससे लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि अलग-अलग तरह के जातीय समूहों से बना समाज प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता। इस तरह की भाषा का उद्देश्य लोगों को एक-दूसरे के ख़िलाफ़ करना और समुदायों के बीच में फूट डालना होता है।

कानून के तहत इस तरह के रवैये को भड़काना गैरकानूनी है, क्योंकि यह मानवाधिकार और आओटेअरोवा न्यूज़ीलैंड के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। यह रवैया इस विचार पर आधारित है कि एक जैसी विशेषताओं (जैसे जातीयता, धर्म या यौन रुझान) के कारण लोगों के कुछ समूहों का सम्मान दूसरों की तुलना में कम किया जाना चाहिए। ऐसी भी सोच हो सकती है कि इन समूहों के पास बाकी सब जैसे अधिकार नहीं होने चाहिए और/या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें व्यापक समाज से बाहर रखा जाना चाहिए।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये प्रस्ताव भाषा से संबंधित अपराध की गंभीरता को कम नहीं करते हैं, न ही ज़रूरी मुद्दों पर सार्वजनिक बहस पर रोक लगाते हैं।

कानून में बदलाव के इन प्रस्तावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी के अधिकारों की रक्षा की जा सके, और हर व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी बात रख सके।

कानूनों में कई तरह की समस्याओं के बारे में पता चला है

मंत्रालय द्वारा 2019 में की गई कानून की समीक्षा के नतीजे में कुछ समस्याओं का पता चला है। 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले की जाँच पर रॉयल कमीशन ने भी समस्याएँ देखीं और बदलाव करने के लिए सिफ़ारिशें रखीं।

तीन मुख्य समस्याओं की पहचान की गई:

1. आपराधिक प्रावधान और नागरिक प्रावधान दोनों में उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट नहीं हैं। रॉयल कमीशन ने आपराधिक प्रावधान को फिर से लिखे जाने की सिफारिश रखी।
2. अभी जिन समूहों को सुरक्षा प्राप्त है, उसे अधिक समूह नफ़रत फैलाने वाली भाषा का शिकार होते हैं। प्रावधान केवल नस्ल, राष्ट्रीयता, जातीयता और रंग के बारे में हैं। ह्यूमन राइट्स ऐक्ट की धारा 21 में 'भेदभाव के निषिद्ध आधार' तेरह हैं, जिनमें से ये केवल चार हैं।
3. जान-बूझकर नफ़रत फ़ैलाने की गंभीरता की तुलना में अपराध के लिए दंड बहुत कम है।

हम मौजूदा कानून के साथ इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए छह प्रस्तावों पर आपकी राय जानना चाहते हैं।

वैतांगी संधि में कुछ बदलाव सुझाए गए हैं

Te Tiriti o Waitangi - वैतांगी की संधि ह्यूमन राइट्स ऐक्ट और सैद्धांतिक प्रस्तावों में भेदभाव के ख़िलाफ़ उकसाने के प्रावधानों और सुरक्षा से संबंधित है। माओरी नफ़रत फैलाने वाली भाषा का शिकार हो सकते हैं और फ़िलहाल, 'जाति' या 'जातीय मूल' के आधार पर भड़काऊ भाषा के प्रावधानों से सुरक्षित हैं। ये प्रस्ताव माओरी सहित दूसरे समूहों को भी नफ़रत फ़ैलाने वाली भाषा से और सुरक्षित करने का उद्देश्य रखते हैं। सुरक्षा को वहाँ मज़बूत किया जाएगा जहाँ माओरी को भेदभाव के किसी भी अन्य निषिद्ध आधार द्वारा कवर किया जाएगा, उदाहरण के लिए, ताकातापुई (माओरी जो विविध लिंग और यौन-रुझान को मान्यता देते हैं) के संबंध में।

प्रस्तावों पर फ़ीडबैक के लिए सवाल

चर्चा दस्तावेज़ में सभी प्रस्तावों के बारे में कुछ सामान्य सवाल हैं और कुछ ऐसे सवाल शामिल हैं जो विशेष रूप से उन प्रस्तावों के बारे में ही हैं। ये सभी सवाल नीचे दिए हैं।

वे तीन सवाल जिनका उपयोग आप प्रस्तावों के बारे में अपने सबमिशन के लिए संकेत के रूप में कर सकते हैं, वे हैं:

- क्या आपको लगता है कि इन प्रस्तावों में कोई जोखिम हो सकता है या इनके कोई अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, अगर हाँ, तो वे क्या हैं?
- क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे इन प्रस्तावों को बेहतर बनाया जा सकता है?
- क्या इन प्रस्तावों में आपको वैतांगी संधि के संबंध में कोई और समस्या दिख रही है, उन समस्याओं के अलावा जो इस दस्तावेज़ में बताई गई हैं?

प्रस्ताव एक से संबंधित सवाल:

- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह उकसाने वाले प्रावधानों को व्यापक बनाने से इन समूहोंकी बेहतर सुरक्षा की जा सकेगी?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- आपकी राय में, इस बदलाव से किन समूहों को संरक्षित किया जाना चाहिए?
- क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई समूह हैं जो नफ़रत फैलाने वाली भाषा का शिकार हैं लेकिन इस बदलाव से संरक्षित नहीं होंगे?

प्रस्ताव दो से संबंधित सवाल:

- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह आपराधिक प्रावधान के शब्द बदलने से यह स्पष्ट और समझने में आसान हो जाएगा?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- क्या आपको लगता है कि इस प्रस्ताव में वे सभी व्यवहार शामिल हैं जिन्हें नए कानून के तहत गैरकानूनी होना चाहिए?

प्रस्ताव तीन से संबंधित सवाल:

- क्या आपको लगता है कि इस जुर्माने से अपराध की गंभीरता का ठीक से पता चलता है?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- अगर आप असहमत हैं, तो उचित तुलना के रूप में किन अपराधों को लेना चाहिए?

प्रस्ताव चार से संबंधित सवाल:

- क्या आप धारा 61 (नागरिक प्रावधान) में इस भाषा को बदलने का समर्थन करते हैं?
    - क्यों या क्यों नहीं?
- क्या आपको लगता है कि नागरिक प्रावधान की मौजूदा शैली में किसी और हिस्से को भी बदला जाना चाहिए?

प्रस्ताव पांच से संबंधित सवाल:

- क्या आप धारा 61 में भेदभाव करने के लिए उकसाने पर प्रतिबंध को शामिल करने का समर्थन करते हैं?
    - क्यों या क्यों नहीं?

प्रस्ताव छह से संबंधित सवाल:

- क्या आप मानते हैं कि यह शब्दावली उचित है?
- क्या आपको लगता है कि यह प्रस्ताव उन समूहों को पूरी तरह से सुरक्षित करता है जिन्हें ह्यूमन राइट्स ऐक्ट के तहत भेदभाव से बचाया जाना चाहिए?
- क्या आप मानते हैं कि यह प्रस्ताव ताकातापुई सहित सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट लैंगिक पहचान वाले लोगों की उचित रूप से रक्षा करता है?

अगर आप नफ़रत फैलाने वाली भाषा या व्यवहार से पीड़ित हैं, तो आप क्या कर सकते हैं

अगर आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा खतरे में है, तो कृपया पुलिस से संपर्क करें। अगर कोई इमरजेंसी है, तो 111 पर कॉल करें। अगर आप फ़िलहाल खतरे में नहीं हैं, तो 105 पर कॉल करें।

मानवाधिकार आयोग कैसे मदद कर सकता है, ज़्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर देखें: https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/

जाति के आधार पर उत्पीड़न के बारे में जानकारी के लिए: https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/)।

ऑनलाइन हो रहे अभद्र व्यवहार के लिए: https://www.netsafe.org.nz/

अगर आप किसी से बात करके अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं, तो कृपया 1737 पर कॉल या मैसेज करें।

आगे की जानकारी

आप पूरा चर्चा दस्तावेज़ दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination

अधिक जानकारी Te Tāhū o Te Ture - मिनिस्ट्री ऑफ़ जस्टिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government